संख्या-415/2021/I/87531/2021/23-11099(099)/27/2021

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
उत्तर रेलवे,
बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊः दिनांक 06 अगस्त, 2021**

विषयः- जनपद अयोध्या में फैजाबाद-अकबरपुर मार्ग पर सम्पार सं0-118 (फतेहगंज) पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के प्रारम्भिक आगणन से सम्बन्धित रेलवे से सहभागिता प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-2502/आर0ओ0बी0/अयोध्या क्षेत्र/सेतु-3/2021, दिनांक-22.03.2021 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधोलिखित तालिका में अंकित जनपद अयोध्या में रेलवे उपरिगामी सेतु के निर्माण की लागत में सहभागिता व 08 बिन्दुओं पर सहमति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र0सं0	**कार्य का नाम**	**टी0वी0यू0**	**अनुमानित लागत**
1	जनपद अयोध्या में फैजाबाद-अकबरपुर मार्ग पर सम्पार सं0-118 (फतेहगंज) पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	1159602	6126.87

1. सन्दर्भित रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण हो जाने के पश्चात उसे यातायात के लिए खोल दिये जाने एवं प्रश्नगत सम्पार बन्द किये जाने विषयक जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र आगणन में संलग्न है।
2. पहुँच मार्ग के लिये भूमि अध्याप्ति के सम्बन्ध में मूल प्रस्ताव रेलवे व राज्य सरकार से स्वीकृति हो जाने के उपरान्त ही कार्यवाही सम्भव होगी। राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है।
3. प्लान डिजाइन तथा आगणन जो सेतु तथा पहुँच मार्गो के सम्बन्ध में होंगे उन पर दोनों पक्षों की सहमति होगी तथा उभय पक्षों द्वारा उन्हें अन्तिम रूप दिया जायेगा।
4. राज्य सरकार अपने हिस्से का अंशदान देने के लिये सहमत है। स्थल चयन रेलवे तथा उ0प्र0 राज्य सेतु निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।

5. स्थल विवरण अग्रिम रूप से तय किये जायेंगे तथा उस पर दोनों पक्षों की सहमति होगी। राज्य सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
6. रेल उपरिगामी सेतु का पहुँच मार्ग पुल के निर्माण के साथ ही किया जायेगा।
7. रेलवे विभाग के रेलवे इन्जीनियरिंग कोड के पैरा-732(ई) के अनुसार प्रस्ताव अस्वीकार हो जाने की दशा में प्लान तथा आगणन बनाये जाने का व्यय देने में प्रदेश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।
8. रेल उपरिगामी सेतु एवं उसके पहुँच मार्ग के निर्माण की अवधि में बिना किसी व्यवधान के यातायात व्यवस्था बदलने के सम्बन्ध में राज्य सरकार सहमत है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त रेल उपरिगामी सेतु को रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए रेलवे की सहमति एवं लागत में सहभागिता के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अवगत कराने का कष्ट करें। प्रश्नगत सम्पार पर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु प्रारम्भिक आगणन की एक प्रति संलग्न है।

<u>संलग्नकः यथोपरि</u>

भवदीय

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सदस्य (इंजीनियरिंग)/रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
2- जिलाधिकारी, अयोध्या।
3- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (अयोध्या क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रेल मंत्रालय से समन्वय स्थापित करके लागत सहभागिता के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।